21/5/26

पत्रावली वास्ते लिखित पेश हुई। उभय पक्ष अनुप्
प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। फिलहाल लिखित
शामिल किया जाकर अतः आदेश की प्रति मूल प्रा.पत्र
सं. 125/09 स्टेट बनाम प्रेमाराम (2005) [illegible] पुत्र [illegible]
अ.धारा 177 RTA दिनांक 16/3/12 के [illegible] पत्रावली
नत्थी की जावे।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2022/430

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 192/2022 GOMS:-2022/480 **दायर दिनांक** : 15.07.2022

आदूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 27.12.2019 की पालना कराने हेतू।

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थी
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक :** 21.05.2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकार के अभिभाषक उपस्थित, पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी आदूराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके विरूद्ध पारित आदेश पत्रावली संख्या 125/2009 निर्णय दिनांक 16.03.2012 जो कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. सहपठित धारा 5(v) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम किशनपुरा के ख.सं. 29/2 की 2.720 है. ख.स. 39/3 की 0.063 है. ख.स. 279/1 की 1.050 है. व ख.स. 279/2 की 1.480 है. कुल 5.313 है. भूमि अवैध खनन के कारण खारिज की गई थी जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर पत्रावली सं. 88/2014 निर्णय दिनांक 27.12.2019 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर रोही किशनपुरा के ख.स. 39/2 की 1.012 है. व 39/3 की 0.063 है. कुल 1.075 है. को बहक सरकार देने के आदेश पारित किये है शेष आदेश निरस्त किये है कि पालना हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में रकबा राज घोषित भूमि रोही किशनपुरा के ख.स. 279/1 की 1.050 है. व ख.स. 39/2 की 1.708 है. व ख.स. 279/2 की 1.480 है. को पुनः पेमाराम पुत्र श्री जीवन जाति चमार के नाम आरजी काश्तकार 1955 के पश्चात का दर्ज करने के आदेश चाहे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को तलब किया गया, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया मूल पत्रावली तलब कर संलग्न की गई व तर्क सुने गये। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया कि मूल पत्रावली 177 आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2012 अपील सं. 88/2014 निर्णय दिनांक 27.12.2019 अपील आंशिक स्वीकार कर मात्र रोही किशनपुरा की ख.स. 39/2 की 1.012 है. व ख.स. 39/3 की 0.063 है. कुल 1.075 है. को निरस्त कर बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये गये है शेष भूमि 4.238 है. की निरस्ती बहक सरकार लिये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है इसलिए शेष भूमि 4.238 है. का पुनः अंकन आदेश उपखण्ड अधिकारी दिनांक 16.03.2012 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की प्रार्थना की यह अनुतोष अभिभाषक प्रार्थी द्वारा धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिया जाना उचित बताया व प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। अप्रार्थी द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया व राज्य सरकार के हित सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र के निस्तारण की प्रार्थना की गई।

तर्क उभय पक्ष सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन किया एवं पाया कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 16.03.2012 जिसके द्वारा पेमा वल्द जीवन के नाम अंकित रोही किश्नपुरा का ख.स. 39/2, 39/3, 279/1, 279/2 की 5.313 है. भूमि आरजी काश्त बाद को निरस्त किया गया है के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त भूमि में से ग्राम किश्नपुरा के ख.स. 39/2 की 1.012 है. व ख.स. 39/3 की 0.063 है. कुल 1.075 है. आरजी काश्त पश्चात को ही रकबा राज रखा गया है शेष भूमि ग्राम किशनपुरा के ख.स. 279/1 की 1.050 है. व ख.स. 39/2 की 1.708 है. ख.स. 279/2 की 1.480 है. कुल 4.238 है. भूमि की निरस्ती का आदेश राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने निरस्त कर दिया अभिभाषक प्रार्थी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का अवलोकन करवाया व कानून अनुरूप संशोधित आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 27.12.2019 की पालना चाही व 4.238 है. भूमि पुनः पेमाराम के नाम बतौर आरजी काश्तकार 55 के पश्चात दर्ज करने के आदेश चाहे है। नियमानुसार यह अनुतोष व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत देय है, पेमाराम की मृत्यु हो चुकी है किन्तु भूमि पेमाराम की निरस्त की गई थी आदेश उपखण्ड अधिकारी की पालना से पूर्व पेमाराम के नाम से दर्ज थी आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी की पालना में निरस्त की गई भूमि पुनः पेमाराम के नाम से दर्ज होने योग्य है उनके वारिस नियमानुसार अलग कार्यवाही कर बाद पेमाराम के भूमि दर्ज होने अपने नाम नामान्तरण कराने को स्वतंत्र है।

कमशः पेज 3 पर....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर पत्रावली सं. 88/2014 आदेश दिनांक 27.12.2019 की पालना में ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के ख.स. 279/1 की 1.050 है. बारानी, ख.स. 39/2 की 1.708 है. बारानी, ख.स. 279/2 की 1.480 है. कुल 4.238 है. पुनः पेमाराम पुत्र श्री जीवन जाति चमार निवासी किशनपुरा के नाम आरजी काश्तकार 1955 के बाद का दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को दिये जाते है, आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तहसीलदार आदेशों की पालना करे। प्रार्थना पत्र इसी अनुसार स्वीकार कर निर्णय शुमार करते हुए दाखिल दफतर की जावें। निर्णय आज दिनांक 21 .05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।